न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 176 / 2018 दायरा दिनांक : 14.11.2018

उनवान

जितेन्द्र सिंह आयु 34 वर्ष पुत्र श्री मानसिंह, जाति राजपूत, निवासी बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांटगण

बनाम

1— दुर्गेशकंवर आयु 36 वर्ष पत्नि स्वर्गीय शम्भूसिंह पुत्री तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां हाल मुकाम मकान नं. 1078, आई एल कालोनी, कोटा जिला कोटा

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — अभिभाषक रघुवीर प्रसाद मीणा अपीलांट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिससे वाद संख्या — 127 / 2017 वादिया का वाद स्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांक : 26.07.2023

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1– वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा की खाता संख्या 210 का खसरा नम्बर 554 पश्चिम रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 पूर्व रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 559 पश्चिम रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 पूर्व का रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 563 पश्चिम का रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बरें 568 पश्चिम रकबा 0.05 हेक्टर कुल किता 6 का रकबा 0.55 हेक्टर आराजी वादिया के खाते खाता दर्ज है, जो काबिल गौर है।

2– यह कि वादिया के प्रति शंभूसिंह की वर्ष 2003 में मृत्यु हो जाने के बाद प्रतिवादी कम 1 ने वादिया से लडाई झगडा करना शुरू कर दिया जिससे परेशान होकर वादिया अपने पिताजी के साथ कोटा निवास करने लग गई। वादिया द्वारा उसके हिस्से की आराजी का खाता विभाजन करवाने के लिए वर्ष 2012 में वाद दायर किया गया था जिसका निर्णय श्रीमान द्वारा 03.08.2016 को किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय की पालना हेतु इजराय 18.11.2016 को पेश की गई जिसकी पालना 24.06.2017 को की जा चुकी है। परन्तु वादिया के हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल कर कब्जा वादिया को नहीं दिलवाया गया है। इसलिए वादिया के हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है। नकल निर्णय 03.08.2016 एवं इजराय पालना की आर्डर शीट 24.06.2017 साथ में सलंग्न है।

3– यह कि बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी कम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से हाना संभव नहीं होगी तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादिया वाद पेश कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 पारित की जावे कि कुल किता 6

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का रकबा 0.55 हेक्टर पर से प्रतिवादीकम 1 को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलवाया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह भविष्य में वादिया को उसके स्वामित्व की आराजी 0.55 हेक्टर पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

4— यह कि राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से वाद बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने के कारण तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी कम 2 बनाया जाकर यह वाद पत्र पेश किया गया है।

5— यह कि वाद कारण प्रथम बार वर्ष 2012 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादिया के स्वामित्व की आराजी कब्जा करने पर तथा अंतिम बार दिनांक 25.06.2017 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादिया को आराजी पर आने पर जान से मारने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

6— यह कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

7— यह कि वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

8— अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि —

9— (अ)— वाद पत्र की मद नं. 1 में खाता संख्या 210 का कुल किता 6 का रकबा 0.55 हेक्टर आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाये जाने के आदेश प्रतिवादी कम 2 के नाम किया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विकल्प में निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 से वाद् पेश करने की दिनांक से 10,000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष दिलाया जावे।

10– (ब)– प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया को उसके स्वामित्व की 0.55 हेक्टर आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवें तथा भविष्य में कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

11– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पत्रावली आज न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बडौरा में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित।

12– वादिया द्वारा वाद अन्तर्गत 183, 188 आर.टी. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम एवं माल बडौरा की खाता संख्या 210 का खसरा नम्बर 554 पश्चिम रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 पूर्व रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 559 पश्चिम रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 पूर्व का रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 563 पश्चिम का रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 568 पश्चिम रकबा 0.05 हेक्टर कुल किता 6 का रकबा 0.55 हेक्टर आराजी वादिया के खाते दर्ज खाता है। नकल जमाबंदी नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ सलंग्न है जो काबिलगौर है।

13– वादिया के पति शम्भू सिंह की वर्ष 2003 में मृत्यु हो जाने के बाद प्रतिवादी कम 1 ने वादिया से लडाई–झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर वादिया अपने पिता जी के साथ कोटा निवासी करने लग गई। वादिया द्वारा उसके हिस्से की आराजी का खाता विभाजन करवाने के लिए वर्ष 2012 में वाद दायर किया गया था जिसका निर्णय श्रीमान् द्वारा 03.08.2016 को किया जा चुका है, तथा उक्त निर्णय की पालना हेतु इजराय दिनांक 18.04.2016 को पेश की गई, जिसकी पालना 24.06.2017 को की जा चुकी है, परन्तु वादिया के हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बेदखल कर कब्जा वादिया को नहीं दिलवाया गया है। इसलिए वादिया के हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है। नकल निर्णय 03.08.2016 एवं इजराय पालना की आर्डरशीट दिनांक 24.06.2017 साथ सलंग्न है।

14— अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की प्राप्ति की जावे कि :—

15— (अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में खाता संख्या 210 का कुल किता 6 का रकबा 0.55 हेक्टर आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाये जाने के आदेश प्रतिवादी क्रम 2 के नाम किया जावे। विकल्प में निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पेश करने की दिनांक से 10000/— रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष दिलाया जावे।

16— (ब) प्रतिवादीक्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया को उसके स्वामित्व की 0.55 हेक्टर आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा भविष्य में कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

17— प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया गया कि वादिया अपनी इच्छा से ही अपने पिता के पास कोटा निवास कर रही है। वादिया के साथ प्रतिवादी क्रम 1 ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया बल्कि वादिया के साथ प्रतिवादी क्रम 1 तो अच्छा व्यवहार करता है, तथा वादिया के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ने कोई किसी प्रकार का जबरन कब्जा नहीं कर रखा है। बल्कि वादिया प्रतिवादी क्रम 1 को उनके हिस्से की आराजी को मुनाफा काश्त पर जुपाती है। इस वर्ष भी वादिया ने अपनी इच्छा से अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 को मुनाफा काश्त पर जुताई

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

थी जिसका मुनाफा भी वादिया ने जुलाई में ही प्रतिवादी क्रम 1 से प्राप्त कर लिया है।

18– अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

19– प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया गया कि बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है। कुल किता 6 रकबा 0.55 हेक्टर भूमि ग्राम बडोरा की खातेदारी की भूमि है। बिन्दु संख्या 2 वादिया की भूमि पर प्रतिवादी जितेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह राजपूत द्वारा कब्जा किया हुआ है। बिन्दु संख्या 3 स्वीकार है, प्रतिवादी को बेदखल किया जाना उचित है।

20– पत्रावली अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना, रिकार्ड व रिपोर्ट अनुसार वादिया ग्राम बडोरा की खाता संख्या 210 की किता 6 रकबा 0.55 हेक्टर की खातेदार कृषक है, जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कब्जा कर रखा है, जिसे बेदखल किया जाना व कब्जा वादिया को संभलाना न्याय हित में है।

21– उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी ग्राम बडोरा की खाता संख्या 210 खसरा नम्बर 554 पश्चिम रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 पूर्व रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 559 पश्चिम रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 पूर्व का रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 563 पश्चिम का रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 568 पश्चिम रकबा 0.05 हेक्टर कुल किता 6 का रकबा 0.55 हेक्टर पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल कर कब्जा वादिया को संभलाया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया जाता है कि वादिया के स्वामित्व की 0.55 हेक्टर आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा भविष्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में रेस्पोडेंट/वादी कम 1 द्वारा विवादित आराजीयात वाके बडोरा, तहसील अटरू की खसरा नम्बर 554, 555, 559, 562, 563, 568 कुल 6 किता रकबा 0.55 हेक्टर के बाबत एक वाद धारा 183, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया था जिसमें दिनांक 17.05.2018 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए आदेश दिया है कि उक्त वर्णित आराजियात पर से प्रतिवादी/अपीलांट को बेदखल कर कब्जा वादिया/रेस्पोडेंट कम 1 को संभला दिया जावे तथा प्रति0 कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादिया के स्वामित्व की 0.55 हेक्टर आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा भविष्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

23– अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है।

24– अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर कानून के अनुसार विवेचन न करके उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी भूल की है।

25– विवादित आराजीयात पर अपीलांट ने जबरन कब्जा नहीं किया है, स्वयं रेस्पो0 कम 1 ने 4 वर्ष के लिये उक्त विवादित आराजीयात को मुनाफा काश्त पर जुताया है, जिसकी मुनाफा राशि भी रेस्पोडेंट कम 1 के मन में बदनियति आ जाने से व अपीलांट की मुनाफा राशि हड़प करेंने की नियत से मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा दर्ज करवाया है, उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो न्याय के सर्वमान्य नियमों व सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

26– अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अंतिम डिक्री व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018 बउनवान मुकदमा दुर्गेश

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कंवर बनाम जितेन्द्र सिंह वगैराह दावा धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट वाद संख्या 127/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां को निरस्त फरमाने की कृपा फरमावे।

27— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.09.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

28— अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

29— हमने विद्वान योग्य अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

30— अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

31– हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व रिपोर्ट के अनुसार दुर्गेश कंवर वादिया ग्राम बडोरा की खाता संख्या 210 की किता 6 रकबा 0.55 हेक्टर की खातेदार कृषक है, जिस पर जितेन्द्र सिंह प्रतिवादी कम 1 द्वारा कब्जा कर रखा है, जिसे बेदखल किया जाना व कब्जा वादिया को संभलाना न्याय हित में उचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

32– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

33– निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा